अपील सूचना अधिकार संख्या 134/2020 (RCMS 2020/00229) **Prakash Chand S/o late Sudama, Kothi No. 314-phase-01, Sector-55, Distt. S.A.S. Nagar Mohali (Pb.) Pin Code : 160055 बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर**

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रकाश चन्द उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2018 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. Letter No. 10/Pongdam/2017/649 dt. 14.06.2018 from Commissioner Colonization (Pong Dam), Bikaner to Distt collector Sriganganagar, vide which all documents on the subject matter were transferred to him, and copy endorsed to D.C. (R&R) Teh Nurpur Distt Kangra, Raja -Ka-Talab (Copy enclosed) for allotment of Plot in Distt Ganganagar, Present Status of case be intimated.
2. Letter No. Rev(PC)A(!)2018 dt 06-07-2018 from Dy Secy (Revenue) H.P. Govt. Shimla to DC(R&R) Teh Nurpur, Raja-ka-Talab, Distt Kangra (H.P.) (copy enclosed) vide which all documents were sent to him, for taking action, strictly in the light of orders/Judgment passed by the Hon'ble High Court H.P.

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./—/2020/1111 दिनांक 03.11.2020 से निम्न जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2020 द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक 521 दिनांक 23.06.2020 द्वारा लिख दिया गया था जिसकी प्रति पत्रांक 522 दिनांक 23.06.2020 द्वारा अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील से सम्बन्धित जवाब प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पेश किया जाना है।
>
> **संलग्न : मूल प्रार्थना पत्र।**
>
> (डा. गुंजन सोनी)
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर
>
> क्रमांक :सम/1112 दिनांक : 3.11.2020
>
> प्रतिलिपि :
>
> 1. प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रांक 521 दिनांक 23.06.2020 द्वारा आपको भिजवाया हुआ है। अतः आप सम्बन्धित कर्मचारी को तारीख पेशी दिनांक 23.11.2020 को प्रातः 10 बजे सुनवाई के लिए न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में उप... कर पालना से सूचित करें।
>
> ...धिकारी
(... जिला कलक्टर)
...क्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को अति. जिला कलक्टर, कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सम/1112 दिनांक 03.11.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/1495 दिनांक 23.11.2020 से अपीलार्थी की अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था जो दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को **आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर भीतर** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्णय लेकर प्रार्थी को सूचित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:13 IST
Reason: SelfAttested